तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्र० सं० :- 87/2023 फतेहराज बनाम जेठा व अन्य	
28.11.24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र दि० 30.09.24 पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र दि. 30.9.24 आदेश दि० 02.12.2024 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	
02.12.24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी आवेदक द्वारा एक प्रारम्भिक आपत्ति का आवेदन दिनांक 30.09.24 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि अपील पोषणीय नही होने से अपील खारिज की जाये जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रथम उज्र यह लिया गया कि अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1957 के निरसित नियमों के तहत 60 वर्ष पश्चात कानून की मंशा के विरुद्ध व न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से बाहर की अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील खारिज की जायें। जिसका जवाब प्रार्थी अधिवक्ता ने देते हुए कथन किया कि पुराने नियमों के निरसित होने के बाद भी नये नियमों में saving clause रहता है। वस्तुतः प्रकरण में अपील या वाद शीर्षक से मुख्यतः जो अनुतोष चाहा गया है उससे न्यायालय का क्षेत्राधिकार तय नहीं होता। तदनुसार अप्रार्थी का उक्त उज्र समायतयोग्य नहीं है। अप्रार्थी ने द्वितीय उज्र यह लिया कि आवेदक अप्रार्थी ने विवादित आराजियात की अपील प्रस्तुत होने से पूर्व ही जैर आराजी का दिनांक 26.04.23 को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होकर उसकी किस्म का इन्द्राज आबादी के रूप में हो चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील में वर्णित आराजी की किस्म आबादी दर्ज होने से जैर अपील का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को नही होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी अनावेदक द्वारा इस उज्र का जवाब यह दिया गया कि इस पर lis pendens का सिद्धांत लागू होता है। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र से सुस्पष्ट है कि जैर आराजियात का आबादी में संपरिवर्तन अप्रैल 2023 में ही किया जा चुका है जबकि यह अपील दिनांक 23.07.23 को प्रस्तुत होकर दिनांक 02.11.23 को पंजीकृत हुई है। तदनुसार	

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र. सं. :- 87/2023 फतेहराज बनाम जेठा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सुस्पष्ट रूप से जैर आराजी आवेदन दायरी की दिनांक को आबादी भूमि थी। जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है व क्षेत्राधिकार से बाहर के वाद। अपील को किसी भी स्तर पर खारिज किया जा सकता है। अतएव प्रकरण में अप्रार्थी का उक्त कथन सुस्पष्ट है कि आवेदक दायरी की दिनांक को जैर आराजियत की किस्म आबादी होने से उक्त अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप प्रार्थी का मूल प्रार्थना-पत्र/अपील अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1957 क्षेत्राधिकार विहीन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner